(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06/2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/89

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री लेखराज पुत्र ब्रजगोपाल गुर्जर जाति गुर्जर(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) निवासी गणपति नगर, नाईयों की बाड़ी के पीछे, जिला बारॉ (राज.) मैसर्स देव दूध डेयरी, झालावाड़ रोड, तेल फैक्ट्री, बाराँ
2. श्री मनोज सिंह परिहार पुत्र डी.एस. परिहार (नोमिनी) मैसर्स अनिक मिल्क प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड, मक्सी रोड, ग्राम बिलावली, देवास(म0प्र0)–455001
3. मैसर्स अनिक मिल्क प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड, मक्सी रोड, ग्राम बिलावली, देवास(म0प्र0)–455001

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) व धारा 31 (2)दण्डनीय धारा 51 एवं धारा 58

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्र0 1 ता 3)

निर्णय दिनांक 01.07.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.07.2020 को मैसर्स देव दूध डेयरी, झालावाड़ रोड, तेल फैक्ट्री, बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री लेखराज गुर्जर पुत्र श्री ब्रजगोपाल गुर्जर जाति गुर्जर (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.07.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आता है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया गया पर खाद्य पदार्थ **Pasteurized Homogenized Toned Milk(Shourabh) 400ml** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **Pasteurized Homogenized Toned Milk(Shourabh) 400ml** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:46 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **Pasteurized Homogenized Toned Milk(Shourabh) 400ml** विक्रय हेतु रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर 05 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री लेखराज गुर्जर पुत्र ब्रजगोपाल गुर्जर (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 100/– रूपये (अक्षरे सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Pasteurized Homogenized Toned Milk(Shourabh) 400ml** के 05 पैकेट को खोलकर साफ–सूखे व खाली तपेली में तुलवाकर एक समरूप कर चार नमूना भागों मे अलग–अलग कर कॉंच की साफ सूखी व स्वच्छ शीशीयों में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बून्दे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया जिस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1033 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1033 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री लेखराज गुर्जर पुत्र ब्रजगोपाल गुर्जर जाति गुर्जर(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:46 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/[illegible]/2021 दिनांक 06.08.2020 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 191/PHL/Kota/Act/2020/284 दिनांक 23.07.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Pasteurized Homogenized Toned Milk(Shourabh) 400ml** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (**Substandard**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स देव दूध डेयरी, झालावाड़ रोड, तेल फैक्ट्री, बारॉ से पत्रांक 262 दिनांक 06.08.2020 से सूचना चाही गई। मैसर्स देव दूध डेयरी, झालावाड़ रोड, तेल फैक्ट्री, बारॉ द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र, क्रय बिल एवं आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 24.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **Pasteurized Homogenized Toned Milk(Shourabh) 400ml** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) व धारा 31 (2) दण्डनीय धारा 51 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक दौराने बहस जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अवैधानिक तरीके से प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा कहा गया कि प्रकरण में लेबोरेट्री से जॉंच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये पत्र उक्त सेम्पल की पुनः जॉंच करवाए जाने हेतु सूचित किया गया था किन्तु उसके द्वारा पुनः जॉंच नहीं करवाई गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Pasteurized Homogenized Toned Milk(Shourabh) 400ml** जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 191/PHL/Kota/Act/2020/284 दिनांक 23.07.2020 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) व धारा 31 (2) दण्डनीय धारा 51 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 15,000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)